

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-701/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(96)-2013
लखनऊ:: दिनांक:: 30 मई, 2013

शुद्धि-पत्र

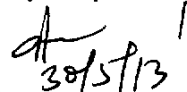
उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-606/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(95)-2013, दिनांक: 22 मई, 2013 के हिन्दी पाठ के खण्ड (ख) में,-

- (क) कमांक-7 में शब्द " कीमती धातुओं से बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य समस्त बर्तन जिसमें प्रेशर कुकर/कढ़ाई भी सम्मिलित है, सिरैमिक वेयर्स तथा ग्लास वेयर्स, कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगट्स (गुल्ली) एवं कोरा माल; चम्मच।" के स्थान पर शब्द " कीमती धातुओं से बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य समस्त बर्तन जिसमें प्रेशर कुकर/कढ़ाई भी सम्मिलित है, सिरैमिक वेयर्स तथा ग्लास वेयर्स, कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगट्स (गुल्ली); चम्मच।" पढ़ा जाय।

तथा

- (ख) कमांक-52 में शब्द " अनाज जिसमें धान, चावल, गेहूँ एवं दालें सम्मिलित हैं; मटर से निर्मित बेसन। " के स्थान पर शब्द " अनाज जिसमें धान, चावल, गेहूँ सम्मिलित हैं; मटर से निर्मित बेसन। " पढ़ा जाय।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।